बिहार सरकार

आपदा के पूर्व, दौरान एवं उपरांत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

क्र.	आपदा के पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा उपरांत
1	2	3	4
	सूचना प्रसारण कार्यदल		
01	रेडियो व दूरदर्शन के समाचार सुनना एवं गाँव के सभी ओर सूचना प्रसार करने का साधन यथा साईकिल, नाव, गाड़ी, ढ़ोलक, लाउडस्पीकर की व्यवस्था करना।	अधिक संवेदनशील व जोखिम वाले परिवारों को चेतावनी	प्रखण्ड व जिला आपातकालीन संच. ालन केन्द्र के सम्पर्क में रहना अद्यतन जानकारी प्राप्त करना।
02	विभन्न आपदाओं की स्थिति में रेडियो व दूरदर्शन तथा अखबारों के माध्यम से प्राप्त चेतावनियों पर ध्यान देना तथा चेतावनियों को संग्रह कर समिति व सभी कार्यदल के सदस्यों को सूचित करना।	आपदा की दिशा, गति आदि की जानक. ारी देना, समाचार सुनते रहना।	सूचना प्रसारण में आई कमजोरियों का पता लगाना तथा उसमें अपेक्षित सुधार करना।
03	प्रखण्ड कार्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचनओं की वैधानिकता के में वरीय पदाधिकारियों से पता लगाना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर संपर्क में रहना।	जिला स्तर व प्रखण्ड स्तर से आने वाले राहत कर्मियों/ पदाधिकारियों/ स्वेच्छिक संगठनों/ दाता संगठनों इत्यादि की जानकारी पंचायत व ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को देना।
04	आवश्यक सामानों की जाँच करना तथा कार्यदल के सभी सदस्यों को सूचित करना।	आपदा के दौरान रेडियो या अन्य माध्यमों से प्राप्त चेतावनियों के प्रसारण के सत्यापन प्रखण्ड कार्यालय से करना।	
05	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना। लोगों को मॉकड्रील कराकर चेतावनी प्रसारण से संबंधित विशेष ध्वनियों की पहचान करने तथा उसके अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का प्रशिक्षण देना।	विशेष रूप से चिन्हित असुरक्षित परिवारों तक चेतावनी का शीघ्रता से प्रचार प्रसार करना।	
06	सूचना प्रसारण हेतु उपलब्ध सामग्रियों, दूरभाष संख्याओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना तथा आपदा से पूर्व उसका आवश्यकता अनुसार मरम्मति व संशोधन करा लेना।		

राहत प्रबंधन कार्यदल

01	जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न, दवा व ईंधन की व्यवस्था करना तथा संवेदनशील परिवारों की सूची तैयार करना। प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को खाद्यान्न चिन्हित स्थान तक पहुँचाने में मदद करना।	खाद्यान्न वितरण हेतु प्रत्येक परिवार का कार्ड बनाना व आवश्यकतानुसार खाद्यान्न वितरण करना।	सरकारी/गैर सरकारी सहाय्य की व्यवस्था करना व वितरण में सहयोग करना।
02	पशु हेतु आहार व दवा की व्यवस्था करना तथा संवेदनशील परिवारों की सूची तैयार करना।	किसी भी प्रकार क कर्मी की सूचना अध्यक्ष व वरीय पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को देना व शांति बनाये रखना।	बाहरी राहत वितरण दल को लाभार्थियों की सूची देना तथा राहत सामग्रियों को प्राप्त कर भंडारण एवं वितरण करना।
03	प्रथम एक सप्ताह हेतु सूखे अन्न व चारे तथा ईंधन की व्यवस्था गणना के अनुसार करना।	स्थायी व अस्थायी शिविर तक राहत सामग्री पहुँचाना विशेषकर वैसे क्षेत्रों जहां आने–जाने का रास्ता टूट चुका हो अथवा टूटने की संभावना हो।	तय करना कि क्षति आकलन कार्यदल अपनी रिपोर्ट सही समय पर प्रस्तुत करें।
04	सरकारी एवं अन्य स्रोतों से राहत सामग्री जैसे–खाद्यान्न, बच्चों के लिए दूध पाउडर, पेयजल, सुखे भोजन के पैकेट, दवा, टार्च, किरासन तेल, जलावन आदि का चिन्हित सुरक्षित आश्रय स्थल पर भंडारण करना। राहत सामग्री की आपूर्त्ति हेतु सरकार/गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों के साथ सम्पर्क करना।	भंडार का अनुश्रवण करना तथा आवश्यक सामानों की पुनः पूर्त्ति सूची बनाना। आपदा के दौरान समूह की राहत शिविर में रहना तथा यह सुनिश्चित करना की इस अवधि में कोई भी शिविर न छोड़े। आश्रय प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय करना।	अन्य प्रकार की सहाय्य सामग्रियों की व्यवस्था करना एवं भंडार में कम पड़ रहे सामग्रियों को पुनः पूर्त्ति हेतु उपाय करना।
05	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	सभी स्रोतों से प्राप्त राहत सामग्री का अनुश्रवण करना तथा ग्राम आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उसका लेखा–जोखा प्रस्तुत करना।
06	आश्रय प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय करना।		आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।

खोज एवं बचाव कार्यदल

01	सभी प्रकार की सूची (विशेष कर संवेदनशील महिला, बच्चे व वृद्ध व्यक्तियों की) तैयार रखना।	आपदा के समय किसानों को बाहर जाने के बारे में चेतावनी देना। बाहर निकाले गये लोगों को अस्थायी आश्रय तक पहुँचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल की सहायता से इनका नियमित जाँच करवाना।	गंभीर मामलों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए वाहन व नाव आदि की व्यवस्था करना। रोड व गली को साफ रखने की व्यवस्था करना तथा इसके लिए सफाई एवं स्वच्छता कार्यदल के साथ समन्वय करना।
02	सभी प्रकार के उपकरण जैसे साईकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा, नाव आदि को तैयार रखना तथा कोई कमी या खराबी हो तो तुरंत इसकी मरम्मत या अन्य व्यवस्था करना।	गंभीर रूप से बीमार अथवा घायल व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचाना। आश्रय में रह रहे लोगों को शांति व सफाई बनाये रखने के लिए कहना।	घर वापस लौटने में लोगों की मदद करना, अन्य संगठनों के सम्पर्क में रहना जो पीड़ित लोगों की सहायता करना चाहते हैं अन्य कार्यदलों की मदद करना। संचार एवं यातायात को पनुः चालू करना।
03	कमजोर मकान में रह रहे लोगों को स्थानीय सामानों का उपयोग कर मकान की मरम्मति करने के लिए कहना। जिम्मेदार सरकारी विभाग से टूटे पथों या रास्तों की मरम्मत करवाना।	लापता व्यक्तियों की समुदाय के सहयोग से खोज करना व बिना जानकारी दिये लोगों को बाहर जाने से रोकना।	खोये हुए व्यक्तियों एवं पशुओं की सूची पंजी रखना तथा उसे हर बार अद्यतन करना। चिकित्सा, राहत सामग्री तथा स्वयं सेवकों को गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।
04	चारा के साथ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखवाना। निकास एवं बचाव के लिए सुरक्षित मार्ग की पहचान करना तथा मॉक ड्रील एवं प्रशिक्षण आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी देना।	संवेदनशील व असुरक्षित परिवारों की सहायता करना, उनके सामानों को एकत्र करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें किस आश्रय स्थल पर जाना है।	खोज एवं बचाव कार्य में आई कमियों को भविष्य के लिए दूर करना तथा सभी प्रकार की सूचियों को अद्यतन करना।
05	यातायात के अन्य साधनों की तैयार जैसे नाव, बचावकीट, लाईफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी, लाठी, महाजाल इत्यादि को तैयार रखना। संवेदशील व असुरक्षित परिवारों के निरंतर सम्पर्क बनाये रखना व ऐसे परिवार के मकानों के उपर लाल झंडा लगाना।	खोज एवं बचाव कार्य में अनुशासन बनाये रखना तथा समुदाय को शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कहना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।
06	सूचना प्रसारण कार्यदल तथा प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल प्रखण्ड आपदा प्रबंधन समिति तथा पंचायत आपदा प्रबंधन समिति के साथ समन्वय करना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	

प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल

क्र.	आपदा के पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा उपरांत
1	2	3	4
01	गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व विकलांगों एवं बीमार लोगों की सूचना बनाना व आवश्यक व्यवस्था करना।	घायल, बीमार व कमजोर लोगों की चिकित्सा हेतु तुरंत कदम उठाना व नजदीक के अस्पताल में भर्त्ती करना। ऐसे लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थल तक ले जाने में खोज एवं बचाव कार्यदल तथा आश्रय प्रबंधन कार्यदल की मदद करना। गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना। बचाये गये लोगों को अपने स्वास्थ्य व खान–पान के प्रति सजग रहने को कहना।	प्रभावित लोगों तक जल्दी पहुँचाना उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिला उप स्वास्थ्य केन्द्र में भर्त्ती कराना तथा सरकारी नर्सों व कम्पाउण्डरों की सहायता करना। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के चिकित्सा दल को गंभीर मामलों की जानकारी देना। महामारी फेलने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना व लोगों को जागरूक करते रहना।
02	प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक दवा, बैंडेज, प्लास्टर, ब्लेड, सूई, कैंची, क्लोरीन, टैबलेट, हैलोजन टैबलेट, दर्द निवारक दवा, साफ कपड़ा ओ०आर०एस० पैकेट, डिटॉल, विषाणु रहित पट्टी, सुरक्षित प्रसव कीट तथा साफ कपड़ा आदि की व्यवस्था करना।	विस्थापितों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा करना तथा सफाई एवं स्वच्छता कार्यदल की मदद से सफाई की व्यवस्था बनाये रखना। संक्रामक रोग न फैले इसके निरंतर निगरानी करते रहना। आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना। प्रखण्ड व जिला आपदा प्रबंधन समिति के निरंतर सम्पर्क में रहना।	चिकित्सा आपूर्त्ति कम् पड़ने की स्थिति में राहत प्रबंधन कार्यदल को इससे संबंधित तथ्य प्रदान करना। छुआछूत बीमारी वाले लोगों को पृथक रखना तथा बीमारी को फेलने से रोकना।
03	लोगों को पानी स्वच्छ रखने के तरीके की जानकारी देना एवं घरेलू प्राथमिक उपचार के तरीकों की जानकारी देना। स्थानीय दवा दुकानदारों, निजी चिकित्सकों, नर्स एवं कम्पाउण्डर इत्यादि की सूची तैयार रखना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	हैजा, पेचीस, मलेरिया, कालाजार, निमोनिया, तथा जटिल रोगों को महामारी का रूप लेने के संभावित खतरा को ध्यान में रखते हुए रोकथाम के लिए दवा देना तथ ब्लीचिंग पाउडर, डी०डी० टी० इत्यादि का छिड़काव कराना। चोट एवं मानसिक आघात वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देना।
04	सभी वार्ड स्तरयी प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल के साथ मिलकर मॉक ड्रिल आयोजित करना तथा लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देना।		प्राथमिक चिकित्सा कार्य में कई कमियों का पता लगाना तथा भविष्य के लिए उसमें सुधार हेतु सभी जानकारियों को अद्यतन करना।
05	खोज एवं बचाव कार्यदल तथा आश्रय प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्पर्क में रहना।		आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।
06	समुदाय की मदद से आपदा हेतु कोष गठित करना एवं उस कोष से कम–से–कम एक सप्ताह हेतु आवश्यक दवा क्रय कर रखना।		
07	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।		

आश्रय प्रबंधन कार्यदल

01	आश्रय स्थल की पहचान करना तथा शौचालय, बिजली, खिड़की, दरवाजा आदि की जाँच करना।	तय करना कि आश्रय में आने वाले व्यक्तियों के लिए कम–से–कम एक सप्ताह के लिए भोजन, पानी, मोमबत्ती, माचिस आदि की व्यवस्था है। बाहर से आए लोगों की सूची बनाना व लापता लोगों के संबंध में खोज एवं बचाव कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	विस्थापितों को अपने घर वापस जाने तक भोजन आदि की व्यवस्था करना तथा लौटने में लोगों की सहायता करना। अन्य स्रोतों से राहत सामग्री की व्यवस्था करना ताकि उपलब्धता बनी रहे।
02	राशन, पानी, दवा, केरोसिन(एक सप्ताह हेतु) आदि की व्यवस्था सामुदायिक आकस्मिक निधि से करना। सफाई व स्वच्छता की व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना।	सफाई व्यवस्था व स्वच्छ पेयजल पीने के नियमों का कड़ाई से पालन करना। शांति बनाये रखने व किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने पर बल देना। सभी कार्यदलों के लोगों को निर्देश देना कि वे विपत्ति के दौरान कहीं बाहर न जायें। भजन–कीर्त्तन का आयोजन करना ताकि लोगों का मनो. रंजन व हौसला अफजाई हो सके। रेडियो पर समाचार सुनना ताकि बाहरी स्थिति की जानकारी मिल सके।	आश्रय के अंदर/बाहर सफाई बनाये रखना एवं आश्रय की मरम्मति करवाना (यदि आवश्यक हो)
03	महिला व पुरूष के लिए अलग–अलग अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करना।	आश्रय स्थल पर सामग्री पहुँचाना व विस्थापित परिवारों के लिए रहने का स्थान बनान।	अन्य दलों की सहायता करना तथा आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना।
04	गर्भवती/बीमार महिलओं के लिए विशेष व्यवस्था करना। अधिक असुरिक्षत महिलओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोष्टिक आहार संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता हेतु सरकारी पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।	सोलर लैम्प उपलब्ध करना तथा विस्थापित को पंजीकृत करना तथा पहचान पत्र निर्गत करना।	नये विस्थापितों को पंजीकृत करना तथा पहचान पत्र निर्गत करना। आश्रय स्थल को ही राहत वितरण केन्द्र बनाना जिससे राहत समग्री की लूट न् हो सके। क्षति आकलन में सरकार एवं पीड़ित परिवार की सहायता करना।
05	चिन्हित आश्रय स्थल एवं भवन की जाँच करना तथा अधिक सुरक्षित और रहने लायक भवन बनवाने हेतु संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करना। खोज एवं बचाव कार्यदल तथा राहत प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वययय स्थापित करना। अस्थायी आवास हेतु स्थानीय टेंट हाउस निजी व सरकारी विद्यालय, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, मठ इत्यादि के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा मॉक ड्रील आयोजित करना।	पहचान पत्र के अनुसार राहत प्रबंधन कार्यदल की मदद से भोजन वितरण करना। भोजन पाने हेतु आपा–धापी नहीं हो यह सुनिश्चित करना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।
06	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अपंग एवं असाहय्य की सहायता करना।	

मलवा निपटान कार्यदल

01	ईंधन, जलावन हेतु लकड़ी, ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था करना तथा लाश जलाने हेतु जगह की पहचान करना। खोज एवं बचाव कार्यदल के साथ समन्वय करना।	लाश को एकत्रित करना व उनकी पहचान करना। घरेलू जानवरों का संस्कार करने वे पूर्व उसके मालिक को सूचित करना। घायल जानवरों की सूची बनाना व स्थानीय पशु चिकित्सक को सूचना देना।	जिला क्षेत्र में मृत शरीर/लाश पाया गया है उस क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना व सफाई की व्यवस्था करना। मलवा निपटान कार्यदल में आयी कमियों का पता लगाना तथा उसे दूर करने हेतु सूची अद्यतन करना।
02	केरोसीन, पेट्रोल व जलावन लकड़ियों की व्यवस्था करना ताकि मलवा को जलाया जा सके।	मनुष्य के मामले में दाह संस्कार से पूर्व उसकी फोटो लेना व रिकार्ड बनाना तथा इसकी सूचना चिकित्सा पदाधिकारी व पुलिस स्टेशन को देना।	पीड़ित परिवार के लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाने हेतु आवश्यक प्रयास करना।
03	मकान एवं अन्य प्रकार के निर्माण का मलवा हटाने हेतु बेल्चा, कुदाल, आरी, हथौड़ा, खंती इत्यादि की सूची तैयार करना। मलवा का सामान अन्यंत्र ले जाने हेतु वाहन की पहचान करना व सूची तैयार करना।	खोज एवं बचाव कार्यदल तथा प्राथमिक चिकित्सा कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।
04	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	

सफाई एवं स्वच्छता कार्यदल

01	नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/नर्स आदि से संक्रमण रोकने वाली दवाओं की व्यवस्था करना।	चिन्हित आश्रय के निकट सफाई की विशेष व्यवस्था करना।	महामारी रोकने हेतु संक्रमण रोकने वाले दवाओं का प्रयोग करना।
02	पी०ची०ई०डी० के सहयोग से चापाकलों को चालू रखवाना तथा हैलोजेन टैबलेट के प्रयोग की जानकारी लोगों को देना। पेयजल को बाढ़ के पानी से प्रदूषित होने से बचाने की व्यवस्था करना तथा पानी जाँच करने वाले कीट्स प्राप्त करना।	बचाये गए लोगों के लिए शुद्ध अथवा उबाले गए पानी की व्यवस्था करना।	कूड़ा हटाने में खोज एवं बचाव कार्यदल की मदद करना तथा मृत पशुओं के निपटान में मलवा निपटान कार्यदल की मदद करना। मनुष्य के मामलों में संबंधित सरकारी विभाग की आज्ञा लेना तथा मृत व्यक्तियों की तस्वीर रखना ताकि भविष्य में काम आ सके।
03	कुआँ व तालाबों की सफाई की व्यवस्था करना तथा उसमें ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव कराना।	शुद्ध पेयजल के लिए क्लोरिन व हैलोजन टैबलेट के प्रयोग की तरीका बताना तथा कुआँ व तालाबों में संक्रमण रोकने वाले दवाओं का उपयोग करना। यह तय करना कि आश्रय प्रबंधन कार्यदल द्वारा अपने लोगों के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था की गई है।	पेयजल स्रोतों की सफाई रखना व पानी निकास की व्यवसथा बनाये रखना तथ जल जाँच कीट्स के सहारे जल प्रदूषण की जाँच करना।
04	पानी निकास की समुचित व्यवस्था करना तथा बड़े जल निकास को शुद्ध करने हेतु पर्याप्त चूना का भंडारण करना। सम्बद्ध विभाग/प्रकल्प के माध्यम से स्वच्छ शौचालय निर्माण की सामग्री प्राप्त करना तथा अस्थायी स्वच्छ शौचालय बनाना।	आश्रय स्थल में शरणार्थियों को स्वच्छ आदत बनाये रखना सुनिश्चित करना। आपदा के दौरान सभी को आश्रय स्थल के अंदर रखना।	कमियों का पता लगाना तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर सूचियों का अद्यतन करना।
05	नालियों की समुचित कार्यदल तथा आश्रय प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	प्रखण्ड तथा वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय बनाये रखना।,	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना।
06	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	

क्षति आकलन कार्यदल

01	सभी प्रकार के सूचियों की जाँच करना व जरूरी सुधार करना। विभिन्न प्रकार के कार्यदलों की सहायता करना। प्रखण्ड व वार्ड स्तरीय क्षति आकलन कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	महिला एवं गर्भवती महिलाओं तथा वृद्ध बच्चों की सहायता करना।	सभी क्षतिग्रस्त मकान मानव, पशु, नाव सामुदायिक संपत्ति, वृक्ष, फसल आदि की सूची बनाना।

क्र.	आपदा के पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा उपरांत
	2	3	4
02	पंचायत स्तर पर आयोजित मॉक ड्रील में भाग लेना तथा समुदाय में जागरूकता पैदा करना।	पुनर्वास कार्य में आश्रय प्रबंधन कार्यदल की मदद करना। प्रखण्ड व वार्ड स्तरीय क्षति आकलन कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	राजस्व कर्मचारी, सरपंच आदि को क्षति आकलन करने में मदद करना।
03	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	विभिन्न प्रकार के कार्यदलों की सहायता करना।	गैर सरकारी संगठन, दाता संगठन आदि को पुनर्वास कार्य के लिए सूचित करना।
		समुदाय में जागरूकता पैदा करना तथा पीड़ित परिवारों को सांत्वना देना।	क्षतिपूर्त्ति दावे हेतु कागजात तैयार करना तथा क्षतिपूर्त्ति प्राप्त करने में पीड़ित परिवारों को सहायता करना। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं बीमा दावाओं को प्राप्त करने में मदद करना।
04		आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना	क्षति संबंधित आकलनों को प्रतिवेदन बनाकर प्रखण्ड एवं पंचायत कार्यालयों को भेजना।
05			कृषि के अलावे अन्य स्रोतों पर निर्भर करने वाले ग्रामीण कारिगरों यथा कुम्हार, बढ़ई मिस्त्री इत्यादि के सामानों की क्षति का आकलन करना। सड़क, पुल, जलापूर्त्ति, विद्युत, हाट एवं बाजार के क्षति का आकलन तैयार करना।

महिला एवं शिशु सुरक्षा कार्यदल

01	ग्रामीणों के बीच विश्वास की भावना जाग्रत करना ताकि वे अपने संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति निश्चित रह सके। मॉक ड्रील आयोजित करना तथा लोगों के बीच जागरूकता एवं विश्वास पैदा करना।	पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में मदद करना। सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा सुरक्षित स्थानों पर रहे लोगों की सम्पति की सुरक्षा करना।	विस्थापितों को छोड़े गए सामानों/ सम्पत्तियों की सुरक्षा करना। विभिन्न कार्यदलों की मदद करना।
02	गैश्ती कार्य हेतु कर्मठ युवाओं का समूह तैयार करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।	रात्रि गश्ती करना तथा गश्ती के दौरान आपस में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं की जानकारी आदान–प्रदान करना। सुरक्षित स्थान पर रह रहे लोगों के आवश्यकतानुसार उनके घर के सामानों की जाँच करना तथा मांगने पर उन्हें ला कर देना।	बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखना तथा उनसे संबंधित गतिविधियों का पता लगाना।

क्र. 1	आपदा के पूर्व 2	आपदा के दौरान 3	आपदा उपरांत 4
03	एन०सी०सी०/एन०एस०एस० कार्यकर्त्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं, ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्त्ताओं की सूची तैयार कर रखना। खोज एवं बचाव कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना ।	सुरक्षित आश्रय स्थली में रह रहें लोगों को बाहर विशेष कर रात्रि में निकलने पर प्रतिबंधन लगाना।
04	प्रखण्ड व वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यदल के साथ समन्वय स्थापित करना।		महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष निगरानी रखना। गश्ती कार्य में आई कमी का पता लगाना तथा इस पर चर्चा कर इसमें भविष्य के लिए अपेक्षित सुधार करना।
05	आपदा संबंधी पूर्व तैयारी से स्थानीय पदाधिकारियों को अवगत कराते रहना एवं समुदाय की आवश्यकताओं को बताना।		आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना।
06	आपातकालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष संख्या 1077 के निरंतर सम्पर्क में रहना		

जागरूकता एवं परामर्शी कार्यदल

01	समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम यथा विचार गोष्ठी, पद यात्रा, रैली, ग्राम सफाई, तटबंध मरम्मति, सम्मेलन, सेमिना, नुक्कड़, नाटक इत्यादि का आयोजन करना।	विभिन्न कार्यदलों की मदद करना। पीड़ित परिवारों से बातचीत कर मनोवैज्ञानिक समर्थन देना।	पीड़ित परिवारों से बातचीत कर मनोवैज्ञानिक समर्थन देना। पुर्ननिर्माण कार्यों की समीक्षा एवं सहयोगात्मक सुझाव देना। विभिन्न कार्यदलों की मदद करना तथा समन्वय करना।
02	सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विविध प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।	पीड़ित परिवारों की समस्याओं का विश्लेषण कर संबंधित कार्यदल की मदद प्राप्त कराना।	चालू राहत कार्य, पुनर्निर्माण एवं अन्य गति. विधियों तथा आपदा का सामना करने के संबंध में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग एवं सुझाव तथा प्रोत्साहन देना।
03	स्वयं सहायता समूह, ग्राम रक्षा दल, महिला समूह, युवा क्लब, ग्रामीण जातीय सभा, धार्मिक सभा इत्यादि के बीच आपदाओं से बचाव संबंधी बात–चीत करना।	आवश्यकतानुसार भजन कीर्त्तन एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।	
04	स्थानीय स्वैच्छिक/सामाजिक/ शैक्षिणक संस्थाओं के साथ समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाना।		
05	पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ परिचर्चा का आयोजन करना।		
06	जागरूकता पैदा करने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित जागरूता एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। पंचायत स्तर पर आयोजित मॉक ड्रील में भाग लेने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना।		